

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक: एफ.1(2)गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको./2013

जयपुर, दिनांक : 20/4/2015

आदेश

राजस्थान जनसम्पर्क सेवा नियम, 1966 के नियम-29 के अन्तर्गत सूचना एवं जन सम्पर्क सेवा के **संयुक्त निदेशक** स्तर के अधिकारियों की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में निम्न प्रकार जारी की जाती है :-

संयुक्त निदेशक


क्र.सं.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	पदोन्नति वर्ष	वि.वि.
1.	श्री नानग राम बिलूनिया (अजा)	01.07.1956	2014-15	
2.	श्री श्याम सुन्दर जोशी	01.02.1956	2014-15	

उपरोक्त वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में यदि किसी अधिकारी को कोई आपत्ति हो, तो वे अपना प्रतिवेदन 15 दिन में आवश्यक रूप से भेजने की व्यवस्था करें, उसके पश्चात् वरिष्ठता सूची फाईनल कर दी जायेगी।

हं
संयुक्त शासन सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, मा. मुख्यमंत्री (मंत्री, सूजस)
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सूजस।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/सूजस)
4. उप निदेशक (प्रशासन) सूजस।
5. संबंधित अधिकारी।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, मुख्यालय, जयपुर।
7. गार्ड फाईल।


संयुक्त शासन सचिव